न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– शुचि त्यागी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर :– 152/2017 (Rcms No. 2017/00216)

उनवानी प्रकरण :–

दुर्गसिंह पुत्र चन्द्रभान जाति ठाकुर निवासी ग्राम खूबचन्द का पुरा मौजा बीलौनी तहसील बाडी जिला धौलपुर ———————————— अपीलान्ट।

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी जिला धौलपुर —— रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.02.2017 तहसीलदार बाडी प्र.सं. 163/2017 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम दुर्गसिंह अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री सुरेश सिंह गुर्जर अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–28.02.2018

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार बाडी के निर्णय दिनांक 17.02.2017 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 1077 कुल रकवा 62 वीघा 02 विस्वा वाके ग्राम बीलौनी तहसील बाडी में से 01 वीघा आराजी पर सरसो की फसल बोकर अतिक्रमण कर सरकारी भूमि का कब्जा किया है तथा अपीलान्ट को उक्त आराजी से बेदखल कर लगान की 50 गुना राशि 200 रूपये आरोपित करने व अपीलान्ट को गिरफ्तारी वारन्ट से तलब किये जाने का आदेश पारित किया है जब कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर नही दिया व अपीलान्ट की बैक पर महज रंजिशान हल्का पटवारी द्वारा दी गई गलत रिपोर्ट के आधार पर तहत आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वखिलाफ कायदे कानून व रूयेदार मिसिल के है। अपीलान्ट पर किसी प्रकार की तामील नही कराई गई है। अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तहत निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहत निर्णय पारित करते समय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का किसी प्रकार पालन नही किया है। अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर सरसो की फसल बोकर कभी अतिक्रमण नही किया फिर भी रंजिशान हल्का पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर जिस पर अपीलान्ट को बिना सुने व बिना सुनवाई का

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

अवसर दिये तहत निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है। तहत निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 11.09.2017 को पुलिस से हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को आदेश की कतई कोई जानकारी नही थी। अपील जानकारी से अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.2.2017 निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी।

तहसीलदार बाडी से पत्रांक 895 दिनांक 27.12.2017 से अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी पर कब्जा छोडने के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार बाडी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.01.2018 से अवगत कराया कि सम्वत 2072 (रवि) में अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर फसल सरसो बोकर कब्जा काश्त की गई थी। सम्बत् 2073(रवि) में भी अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर फसल सरसो बोकर कब्जा काश्त की गई थी। सम्बत 2074 खरीफ एंव रवि में अपीलान्ट द्वारा कोई फसल नही की है और ना ही किसी प्रकार का उक्त भूमि पर कब्जा किया गया है।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 17.02.17, रिर्पोट पटवारी हल्का की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विवादित आराजी पर फसल सरसो बोकर अतिक्रमी मानते हुए शास्ती एवं एक माह के कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया है, जो अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट पर नोटिस की तामील नही कराई गई है और नाही अपीलान्ट को साक्ष्य एंव जवाब प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया। अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर कोई कब्जा नही किया है। विवादित आराजी से अपीलान्ट ने दो वर्ष पूर्व ही कब्जा छोड दिया था। अपीलान्ट ने पैनल्टी राशि जमा करा दी है तथा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि विवादित आराजी से अपना कब्जा पूर्ण रूप से छोड दिया है तथा भविष्य में किसी प्रकार का कोई कब्जा नही करेगा। तहसीलदार बाडी ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.01.2018 में विवादित भूमि पर कब्जा नही होने की पुष्टि की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.02.2017 खारिज किया जावे।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं खसरा परिवर्तनशील से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर (राज.)

की तामील अपीलान्ट स्वंय पर हुई है। नोटिस तामील पर अपीलान्ट की अंगूठा निशानी है। अतः अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलान्ट पर जारी नोटिस की तामील नहीं हुई है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, असत्य है, क्योंकि बावजूद नोटिस तामील के अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट ने चारागाह भूमि पर फसल सरसो बोकर अतिक्रमण किया है जिसकी पुष्टि फसल नीलामी कार्यवाही मौका रिपोर्ट से होती है जिस पर अपीलान्ट स्वंय ने बोली लगाकर फसल ली है, मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। निर्णय पूर्ण रूपेण सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.02.2017 यथावत रखा जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस सुनने एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं खसरा परिवर्तनशील से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट विवादित भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है।
2. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत नहीं है कि अपीलान्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की तामील नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट स्वंय पर हुई है। नोटिस प्राप्ति पर अपीलान्ट की अंगूठा निशानी है।
3. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्ट को सुनवाई एव साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, असत्य है, क्योंकि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह स्पष्ट हो कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की हो।
4. तहसीलदार बाडी की रिपोर्ट दिनांक 24.01.18 से स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने सम्बत् 2072 एंव 2073 में सफल सरसो बोकर कब्जा काश्त की गई थी। सम्बत् 2074 में विवादित आराजी पर अपीलान्ट ने किसी प्रकार का कब्जा नही किया है।
5. अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा पूर्ण रूप से छोड दिया है तथा भविष्य में कभी उक्त आराजी पर कब्जा नही करेगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

(शुचि त्यागी)
जिला-कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार बाडी मौके पर जाकर पुष्टि करेंगे कि वास्तव में अपीलान्ट का कब्जा नही है। यदि अपीलान्ट शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर कब्जा करता है तो उसे दी गई सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत बहाल रहेगा तथा झूठा शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में तहसीलदार अपीलान्ट के विरूद्ध नियमानुसार अलग से कार्यवाही करेंगे। शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर, धौलपुर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)